



NO.NIIRNCD/Misc/Training/Circular_Office_Order/2021(E-158931)

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

विषय / Subject: वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था तथा कक्ष आवंटन / Seating Arrangement and Room Allocation of Scientists and Staff.

संस्थान में पूर्व में बैठने की व्यवस्था एवं कक्ष आवंटन हेतु कोई औपचारिक नियम या मानकीकृत प्रक्रिया निर्धारित नहीं थी। इस संबंध में गठित समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:

In view of the absence of any formal rules or standardized procedures for seating arrangements and room allocation in the Institute, the Central Room Allotment Committee (CRAC) constituted for this purpose has, after detailed deliberations, resolved the following:

1. वैज्ञानिकों की बैठने की व्यवस्था / Seating Arrangement of Scientists:-

सभी स्वीकृत पदों के विरुद्ध वर्तमान में 09 वैज्ञानिक कार्यरत हैं। गैर-प्रयोगशाला वैज्ञानिक एपिडेमियोलॉजी लैब (Scientist Block) में तथा प्रयोगशाला वैज्ञानिक अपने-अपने प्रयोगशालाओं में बैठेंगे। / Against All sanctioned posts, 09 Scientists are in position. Non-laboratory Scientists shall be seated in the Epidemiology Lab (Scientist Block), while Laboratory Scientists shall be seated in their respective laboratories.

2. वैज्ञानिकों के कक्ष आवंटन / Room Allocation for Scientists:-

वर्तमान में प्रत्येक वैज्ञानिक को पृथक कक्ष आवंटित किया जाएगा, जो भविष्य में उपलब्धता के अनुसार साझा आधार पर किया जा सकता है। / Each Scientist shall presently be allotted an individual room, which may be changed to a sharing basis in future, subject to availability.

3. कक्ष आवंटन पत्र जारी करना / Issuance of Room Allotment Letters:-

बैठक व्यवस्था के अंतिम रूप दिए जाने के उपरांत प्रत्येक वैज्ञानिक एवं स्थायी कर्मचारी को पृथक कक्ष आवंटन पत्र जारी किया जाएगा। / Individual room allotment letters shall be issued to each Scientist and permanent staff member after finalization of seating arrangements.

4. परियोजना कर्मचारियों की व्यवस्था / Accommodation of Project Staff:-

विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को संबंधित वैज्ञानिकों/विभागों को आवंटित कक्षों में उपलब्धता के अनुसार क्यूबिकल में बैठाया जाएगा। / Staff working under various projects shall be accommodated in cubicles within the rooms allotted to the concerned Scientists/Divisions, subject to availability.

5. प्रशासन एवं लेखा अनुभाग / Administration and Accounts Sections:-

प्रशासन एवं लेखा अनुभाग की बैठने की व्यवस्था विभागाध्यक्ष द्वारा समिति को सूचित करते हुए निर्धारित की जाएगी तथा अंतिम कक्ष आवंटन CRAC द्वारा किया जाएगा। / Seating for Administration and Accounts shall be decided by the Head of Department with intimation to the Committee, while final room allocation will be done by CRAC.



icmr NIIRNCD
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911
NATIONAL INSTITUTE FOR
IMPLEMENTATION RESEARCH ON
NON-COMMUNICABLE DISEASES

राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान

(भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद)

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग,

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

**ICMR-National Institute for Implementation Research on
Non-Communicable Diseases,**

DHR, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

6. अनुमोदन आवश्यक / Approval Requirement:-

संस्थान के भीतर किसी भी कक्ष का आवंटन केंद्रीय कक्ष आवंटन समिति (CRAC) की पूर्व जानकारी एवं अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। / No room within the Institute shall be allotted without the prior knowledge and approval of the Central Room Allotment Committee (CRAC).

यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the competent authority.

सुनील बिश्रोई / Sunil Bishnoi
अनुभाग अधिकारी / Section Officer
कृते निदेशक / For Director

प्रतिलिपि / Copy to:-

1. निदेशालय के निजी सहायक, एनआईआईआरएनसीडी
Personal Assistant to Directorate, NIIRNCD
2. सभी स्थायी कर्मचारी, एनआईआईआरएनसीडी
All Permanent Staff, NIIRNCD
3. गार्ड फाइल, प्रशासन अनुभाग, एनआईआईआरएनसीडी
Guard File, Admin Section, NIIRNCD